झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद

स्थान : रिम्स परिसर, राँची

टेली–फैक्स: 0651.2544027

E-mail: jspcranchi@gmail.com

डॉ. सुमन्त मिश्रा
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड
सह **अध्यक्ष**

प्रो. डॉ. विवेक कश्यप
प्राध्यापक, पी. एस. एम. विभाग
रिम्स, राँची सह
सदस्य–सचिव एवं कार्यकारी निदेशक

डॉ. आई. डी. चौधरी
सह–प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग
रिम्स, राँची सह
निबंधक

डॉ. डी. के. सिन्हा
सह–प्राध्यापक, सर्जरी विभाग
रिम्स, राँची सह
परीक्षा नियंत्रक

डॉ. बी. सी. अधिकारी,
सह–प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग
रिम्स, राँची सह
शैक्षणिक समन्वयक

संoसंo– पारा.मेडि./विविध–01/2018...132...

प्रेषक,

डॉ. विवेक कश्यप
सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची।

सेवा में,

एनoएमoडीoसीo ट्रस्ट,
उदय कॉम्पलेक्स,एचoबीo रोड़ थड़पखना,राँची

राँची, दिनांक: 05/07/2018

विषयः **पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके संस्थान द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रस्तावित इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्नोलॉजी साइन्स दुमका झारखंड का गठित विषेषज्ञ समिति के द्वारा दिनांक 22.06.2018 को आवेदित पाठ्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आपके संस्थान को झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली–2010 की कण्डिका–15 से 25 के आलोक में निम्न पाठ्यक्रमों की मान्यता शर्तो के साथ तत्काल प्रभाव से दी जाती है:–

क्रम सं.	पारामेडिकल पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
i.	Diploma in Medical Lab. Tech.	30
ii.	Certificate in Dresser	40

शर्तें:

1- झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची के द्वारा इस संस्थान की मान्यता जारी रखने हेतु प्रति वर्ष निरीक्षण किया जायेगा एवं संस्थान के अनुरूप पाठ्यक्रमों एवं नामांकन क्षमता को बढ़ाया/घटाया जायेगा। निरीक्षण हेतु विहित शुल्क संस्थान द्वारा परिषद् को प्रति वर्ष देय होगा।

2- आप उक्त पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के सीटों की संख्या झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची, विनियमावली 081/झा.रा.पा.प.,राँची, दि.25.03.2014 के अनुसार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड, राँची को संसूचित करेंगे एवं तदनुरूप छात्र/छात्राओं का प्रवेश ले सकेंगे।

3– आप प्रति वर्ष पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रमवार छात्रों के नामांकन की पूर्ण विवरणी नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् एक माह के अंदर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची को संसूचित करेंगे। प्रबंधन सीटों पर लिये गये छात्र/छात्राओं एवं मुक्त सीटों पर जे.सी.ई.सी.ई. बोर्ड द्वारा भेजे गये छात्र/छात्राओं की सूची प्रतिवर्ष नानाकंन समाप्ति के 1 महीने के अन्दर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची को भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र/छात्राओं को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

4– इनके मान्यता पर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद् के शासी परिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

05/07/18

डॉ. विवेक कश्यप
सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची।

05/07/2018